MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(25)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/H.line/2016–17 जयपुर, दिनांक 6 दिसम्बर, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– CM Helpline पर आवास योजनाओं से संबंधित दर्ज परिवादों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पर वर्तमान में आदिनांक 06.12.2017 को आंशिक निस्तारण हेतु लेवल–3 पर 999 प्रकरण, स्वतः अग्रेषित निस्तारण हेतु (वरिष्ठ स्तर पर) 201 प्रकरण एवं अग्रेषित (संतुष्ट, निस्तारण हेतु) (वरिष्ठ स्तर पर) 108 प्रकरण प्रदर्शित हो रहे हैं, जो कि लेवल–1 व 2 स्तर पर प्रभावी कार्यवाही के अभाव में अग्रेषित हुए हैं। उक्त प्रकरणों का निस्तारण स्तर–1 एवं स्तर–2 अर्थात् पंचायत समिति स्तर एवं जिला परिषद् स्तर पर निर्धारित अवधि में नहीं होने से उच्च स्तर पर अग्रेषित हुए हैं, जबकि इनका निस्तारण निर्धारित अवधि में लेवल–1 व 2 स्तर से संभव है।

अधिकांश अग्रेषित प्रकरणों का विश्लेषण कर सभी जिला परिषदों को प्रकरणों के निस्तारण बाबत् 30 नवम्बर, 2017 व 04 नवम्बर, 2017 को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है। अधिकांश प्रकरणों के विश्लेषण में निम्न कारण ध्यान में आये है :–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रावधानुसार स्थाई वरीयता सूची में सम्मिलित लाभार्थियों को ही आवास योजना का लाभ देय है, जिन व्यक्तियों के नाम वरीयता सूची में नही है या ग्राम सभा द्वारा काटने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा अपील नहीं की गई है, को योजना का लाभ देय नहीं है। इसी प्रकार SECC-2011 के आधार पर तैयार पात्रता सूची के नाम जोड़ने का प्रावधान भी नहीं है। केवल ऐसे लाभार्थियों से प्रपत्र–ब जो कि समस्त जिलों को पत्र दिनांक 11.05.2016 के साथ अग्रेषित है, में प्रार्थना–पत्र आमंत्रित किये गये हैं, जिनकी पात्रता का परीक्षण जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय उपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर ही स्थायी वरीयता सूची में ग्राम सभा से परीक्षण व अपील प्रकिया उपरान्त ही जोड़े जा सकेंगे।
2. योजना की वरीयता सूची तैयार करने में ग्राम पंचायत स्तर से अनियमितता के परिवाद भी दर्ज हो रहे हैं, ऐसे प्रकरणों में भी स्तर–1 व 2 से ग्राम सचिव की रिपोर्ट के आधार पर निस्तारित किया जा रहा है, ऐसे प्रकरण प्रावधानानुसार संबंधित परिवादी के असंतुष्ट होने पर अग्रेषित होकर शासन स्तर पहुंच रहे हैं।
3. भुगतान में विलम्ब :– भुगतान के विलम्ब के प्रकरणों में भुगतान करा दिया जावेगा या किया जा रहा है, टिप्पणी अंकित करने के उपरान्त, भुगतान होने पर भुगतान हो गया है, दर्ज नहीं किये जाने के कारण प्रकरण अग्रेषित हो रहे हैं।

अतः अपेक्षा है कि जिला/ब्लॉक स्तर पर CM Helpline के कार्य देख रहे अधिकारी व सहयोगियों में यथा संभव आवास योजना का कार्य देख रहे अधिकारी/कार्मिक को सम्मिलित करावे एवं उक्तानुसार वर्णित प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

क्र.सं.	नमूना परिवाद का विवरण	संभावित कार्यवाही
i.	लाभार्थी का नाम सेक–2011 की पात्रता सूची में नहीं।	ऐसे लाभार्थियों से उक्त वर्णित प्रपत्र–ब में प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये हैं। अतः प्रकरण को निस्तारित लेवल–1 पर करते हुए निम्न टिप्पणी अंकित की जावे :– **"प्रार्थी संलग्न प्रपत्र–ब में प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करे, प्रावधान होने पर जांच उपरान्त योग्य पाये जाने पर सहायता दे दी जावेगी"**
ii.	लाभार्थी का नाम सेक–2011 की पात्रता में, परन्तु ग्राम सभा द्वारा काटा गया।	"प्रार्थी के द्वारा जिला स्तर पर अपील नहीं की गई है। अतः वर्तमान में नाम जोड़े जाने का प्रावधान नहीं होने से सहायता संभव नहीं"। लेवल–1 से उक्त टिप्पणी अंकित करते हुए निस्तारित करावे। यदि लाभार्थी द्वारा अपील की गई हो, तो अपील के निर्णय से अवगत करावे।
iii.	लाभार्थी का नाम वरीयता में, परन्तु परीक्षण के दौरान पात्रता नहीं पाये जाने पर लाभ से वंचित।	"प्रार्थी के पास – कारण होने से योग्य नहीं है" लेवल–1 से उक्त टिप्पणी अंकित करते हुए निस्तारित करावे।

iv.	लाभार्थी का नाम सेक–2011 की सूची में, परन्तु ग्राम सभा द्वारा नहीं काटा गया, परन्तु लिपिकीय गलती से हटा दिया गया।	ऐसे प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु जिला परिषदों से पत्र दिनांक 28.07.2017 (संलग्न) से समग्र प्रस्ताव मांगे गये हैं, जिनका निस्तारण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा करवाया जावेगा। अतः प्रकरणों में "प्रावधानानुसार कार्यवाही की जा रही है।" टिप्पणी अंकित करते हुए लेवल–2 से निस्तारित किया जावे। लेवल–1 द्वारा अंकित किया जावे कि **"पंचायत समिति द्वारा पत्र दिनांक– से संकलित प्रस्ताव जिला परिषद् को प्रेषित किया गया है।"**
v.	लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ पाने/वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत्।	**"लाभार्थी संलग्न प्रपत्र–ब में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करे, प्रावधानानुसार पात्रता होने पर लाभान्वित किया जावेगा"** लेवल–1 से टिप्पणी अंकित करते हुए निस्तारित करावे।
vi.	लाभार्थी का नाम वरीयता सूची में नीचे होने के कारण परिवाद।	लेवल–1 से टिप्पणी अंकित करते हुए **"वरीयता क्रम में लाभ दे दिया जावेगा"** निस्तारित करावे।
vii.	ग्राम पंचायत द्वारा वरीयता सूची तैयार करने के संबंध में शिकायत।	क्योंकि शिकायत ग्राम पंचायत के निर्णय/कार्यवाही के विरूद्ध है। अतः गुणावगुण के आधार पर विकास अधिकारी, ग्राम सेवक के उच्च पद से से जांच करवाकर जांच रिपोर्ट के परीक्षण उपरान्त टिप्पणी अंकित करते हुए निस्तारित करावे।
viii.	लाभार्थी के खाता संख्या परिवर्तन में विलम्ब।	खाता संख्या परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संलग्न लगाकर खाता परिवर्तित करावे एवं पीएफएमएस से भी वैरिफाई करवाकर भुगतान करे। यदि प्रक्रिया में समय के कारण लेवल–1 से परिवाद अग्रेषित लेवल–2 पर हो गया हो, तो लेवल–2 के अधिकारी द्वारा प्रकरण की समस्या का व्यवक्तिगत ध्यान देकर निराकरण करवाया जावे। यदि फिर भी प्रकरण निरस्तारित नहीं हो तो "सीएम हेल्पलाईन अंकित करते हुए अनुभाग–5 को अवगत करावे, जिससे प्रकरण को निर्धारित अवधि में निस्तारित किया जा सके। प्रायः ऐसे प्रकरण अधिकतम 10 दिवस में निस्तारित हो जाते हैं।
ix.	लाभार्थी का भुगतान प्रक्रियात्मक गलती से Reject उपरान्त पुनः भुगतान।	आदेश दिनांक 15.09.2017 (संलग्न) के अनुसार कार्यवाही करते हुए उक्त बिन्दु के अनुसार कार्यवाही करावे।
X	लाभार्थी का भुगतान आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित, परन्तु बैंक खाते में राशि जमा नहीं अर्थात् FALSE SUCCESSES प्रकरण।	आदेश दिनांक 15.09.2017 (संलग्न) के अनुसार कार्यवाही करते हुए उक्त बिन्दु के अनुसार कार्यवाही करावे।

अतः अपेक्षित है कि संबंधित के साथ बैठक कर सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करावे।

6/12/2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
6. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(74)ग्रावि/ग्रुप–5/M-2/प्र.व्यय/2016–17 जयपुर, दिनांक // मई, 2016

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों की सूची प्रकाशन के क्रम में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक एफ 27 (43) ग्रावि/ग्रुप–5/ M-1/ विविध/16–17 दि. 13.04.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासगिक पत्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार SECC-2011 के डाटा के आधार पर "ग्राम उदय से भारत उदय अभियांन" के अन्तर्गत दिनांक 24.04.2016 को आयोजित ग्राम सभाओं सें अनुमोदन अनुसार ग्राम पंचायतवार लाभार्थीयों की वर्गवार वरीयता सूची तैयार कराई गई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों की ग्राम सभाओं सें अनुमोदित सूची के अन्तिम प्रकाशन से पूर्व जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं जिला कलेक्टर द्वारा नामित गैर सरकारी प्रतिनिधि की गठित अपीलेट कमेटी को दिनांक 30 मई, 2016 तक ग्राम सभाओं सें अनुमोदित सूची पर प्राप्त आपतियों के निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया हैं। उक्त अपीलेट कमेटी द्वारा ऐसे लाभार्थी को जिनका नाम ग्राम सभाओं द्वारा विभिन्न कारणो से जिसका इन्द्राज उनके द्वारा कार्यवाही विवरण में किया गया है के नाम काटे गये हो या जिनके नाम SECC-2011 की सूची में ही नही हो के नामो की आपत्ति समिति के स्तर से सुनी जाकर अन्तिम रूप देकर दिनांक 07.06. 2016 तक प्रकाशित की जानी है।

इसी क्रम में आमजन को आपत्ति दर्ज कराने में सुविधा की दृष्टिगत जिला अपीलेट कमेटी के अधीन उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी का भी गठन किया जा जावे, जिसमें विकास अधिकारी सदस्य सचिव होगा। उक्त ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी प्राप्त आपतियों का परीक्षण कराकर अपनी अभिशंषा/टिप्पणी के साथ जिला अपीलेट कमेटी को प्रस्तुत करेगी।

सभी को आश्रय 2022 के तहत योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 के लक्ष्य उक्तानुसार अन्तिम वरीयता सूची के प्रकाशन के बाद ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जा सकेगे। अतः इस क्रम में आप निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

1 ऐसे लाभार्थी जिनका नाम SECC-2011 की सूची में नही हो और लाभार्थी अपने को पात्र मानकर अपील कर रहा हों, तो उनके अपील हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है, जिसमे पंचायत समिति स्तर पर अपील प्राप्त कर लाभार्थी को रसीद दिया जाना सुनिश्चित करावे।

PTO

निस्तारण

इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण करने के उपरान्त पात्र व्यक्ति को अन्तिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने के सम्बंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से अलग से मार्ग दर्शन प्राप्त होने पर सूचित किया जावेगा। अतः इनकी पृथक से सूची तैयार कराई जावे।

2 ऐसे लाभार्थियों जिनका नाम SECC-2011 के डाटा के आधार पर या पात्रता सूची में है परन्तु उनका नाम ग्राम सभा द्वारा अपात्र मानकर सम्मिलित नही किया गया हो, ऐसे लाभार्थियों की अपील का प्रार्थना पत्र सन्दर्भ हेतु संलग्न है, जिसमे [redacted] पंचायत समिति स्तर पर अपील प्राप्त कर लाभार्थी को रसीद दिया जाना सुनिश्चित करावे।

निस्तारण

ऐसे प्रकरणों का जिला अपीलेट कमेटी स्तर निर्णय अनुसार पात्र लाभार्थियों की अन्तिम वरीयता सूची दिनांक 07.06.2016 से पूर्व तैयार कराकर दिनांक 07.06.216 अन्तिम सूची का प्रकाशन कराना सुनिश्चित करावे।

संलग्न दोनो आवेदनों का प्रारूप नमूनों के तौर पर प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत आवेदनो की जॉच हल्का पटवारी, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत की रिपोर्ट अनुसार ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी की टिप्पणी विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त अनुशंषा के साथ जिला अपीलेट कमैटी को प्रेषित किया जावेगा।

अतः उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराते हुये SECC-2011 के डाटा के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार लाभार्थीयों की वर्गवार वरीयता सूची दिनांक 07.06.2016 तक तैयार कराना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

9/5/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4 परियोजना निदेश एवं उप सचिव (मो एवं मू) को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने बाबत।
5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6 विकास अधिकारी , समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

(प्रपत्र–अ)

SECC-2011 सूची में नाम शामिल प्रार्थियों द्वारा उपयोग हेतु

आवेदन पत्र

(ऐसे लाभार्थी द्वारा उपयोग में लिया जाना है जिनका नाम SECC-2011 की सूची में है परन्तु ग्राम सभा द्वारा अपात्र घोषित किया गया है)

जिला अपीलीय समिति, (प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण)
जिला.. ।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के SECC-2011 के डाटा के आधार पर तैयार सूची में नाम होने के बावजूद ग्राम सभा के द्वारा काट दिये जाने के उपरान्त जोडने के क्रम में।

द्वारा :– विकास अधिकारी पंचायत समिति............................ जिला................

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै श्री .... पुत्र/पत्नी श्री............................ शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि आज दिनांक...................... तक मेरे पास कोई आवास/एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरों का कच्चा आवास नही है।

इसके अतिरिक्त अपात्रता के आधार :–

1 मोटर साईकिल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मच्छली नाव होने पर।
2 मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
3 किसान कैडिट कार्ड, कैडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
4 परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
5 परिवार के गैर कृषि उधमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
6 परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 10 हजार प्रति माह होने पर।
7 इन्कमटैक्स देने पर।
8 व्यावसायिक कर देने पर।
9 स्वयं का रेफ्रिजरेटर होने पर।
10 स्वयं का लेण्डलाईन होने पर।
11 स्वयं 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।
12 5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के लिए दो या अधिक फसल मौसम होने पर ।
13 मालिक 7.5 एकड भूमि या अधिक, एक सिचाई उपकरण के साथ होने पर।
14 किसी भी सरकारी योजना में आवास निर्माण हेतु मेरे परिवार के पक्ष में आदिनांक तक कोई स्वीकृति जारी नही हुई है अथवा कोई पक्का मकान आवंटन नही होने पर।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के आधार पर मैं प्रधानमंत्री आवास –ग्रामीण योजना में पात्रता रखता हूँ परन्तु ग्राम सभा द्वारा मेरा नाम गलती से काट दिया गया हैं। अतः मेरा नाम पात्रता सूची में जुडवाने का श्रम करावे।

हस्ताक्षर

मय पता..................................

सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापित किया जाता है कि श्री.............................. पुत्र.. पत्नि............................ ... का नाम पात्रता सूची SECC-2011 के डाटा के आधार पर इनका नाम क्रम संख्या............................ पर अंकित है। परन्तु इसके अनुमोदन हेतु आयोजित ग्राम सभा द्वारा इनकी पात्रता 13 बिन्दुओं में से निम्न बिन्दु........................... के कारण हटा दी गई हैं।

हमारे द्वारा इनका सत्यापन कर लिया गया है एवं इनका नाम जोडने/हटाने की अभिशंषा की जाती है। द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच की गई हैं एंव भौतिक सत्यापन के अनुसार प्रार्थी के पास वर्तमान में कोई आवास नही है/ एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरो का कच्चा आवास एवं पात्रता की सूची में शामिल नही किये के लिए निर्धारित 14 मापदण्डों के आधार पर इनकी जॉच करने के उपरान्त इनका नाम जोडे जाने हेतु सत्यापित कर नाम जोडे जाने की सिफारिश की जाती है।

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत

पटवारी हल्का

D:\Desktop backup\Satna p\AD PMAY Gabla p\aapdi form.docx

PTO

<u>ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी द्वारा अभिशंषा</u>

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण हेतु SECC-2011 की सूची में पुनः नाम जोडने/नही जोडने अथवा नया नाम जोडने/नही जोडने की अभिशंषा की जाती है।

आवेदक का अपात्र होने का कारण..

विकास अधिकारी **उपखण्ड अधिकारी**

<u>जिला स्तरीय अपीलेट कमेटी द्वारा स्वीकृत</u>

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण हेतु SECC-2011 की सूची में पुनः नाम जोडने/नही जोडने अथवा नया नाम जोडने/नही जोडने की अभिशंषा की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी **सदस्य एनजीओ** **जिला कलक्टर**

(प्रपत्र–ब)

SECC-2011 सूची में नाम शामिल नही होने पर प्रार्थियो द्वारा उपयोग हेतु आवेदन पत्र

(ऐसे लाभार्थी द्वारा भरा जाना है जिनका नाम SECC-2011 के डाटा के आधार पर तैयार सूची में नाम नही हैं।)

जिला अपीलीय समिति, (प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण)
जिला.....

विषय : प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची में नाम जुड़वाने के क्रम में।
द्वारा : विकास अधिकारी पंचायत समिति..... जिला.....

महोदय,

मै शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मै..... पुत्र.....पत्नि..... ..... श्री..... मूल निवासी (ग्राम का नाम)..... ग्राम पंचायत..... ..... पंचायत समिति ..... तहसील..... जिला ..... का निवासी हूँ ।

1 मोटर साईकिल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मच्छली नाव होने पर।
2 मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
3 किसान कैडिट कार्ड, कैडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
4 परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
5 परिवार के गैर कृषि उधमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
6 परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 10 हजार प्रति माह होने पर।
7 इन्कमटैक्स देने पर।
8 व्यावसायिक कर देने पर।
9 स्वयं का रेफ्रिजरेटर होने पर।
10 स्वयं का लेण्डलाईन होने पर।
11 स्वयं 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।
12 5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के लिए दो या अधिक फसल मौसम होने पर ।
13 मालिक 7.5 एकड भूमि या अधिक, एक सिचाई उपकरण के साथ होने पर।
14 किसी भी सरकारी योजना में आवास निर्माण हेतु मेरे परिवार के पक्ष में आदिनांक तक कोई स्वीकृति जारी नही हुई है अथवा कोई पक्का मकान आवंटन नही होने पर।

हूँ कि मेरे परिवार के पास कोई आवास नही है/ एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरो का कच्चा आवास एवं मेरा नाम SECC-2011 के आधार पर तैयार पात्रता सूची में नही है।

संलग्न :–

1 आधार कार्ड/राशन कार्ड/वाटर आईडी की स्वयं सत्यापित प्रति।

हस्ताक्षर

मय पता.....

सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापित किया जाता है कि श्री..... पुत्र..... पत्नि..... ... द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच की गई हैं एंव भौतिक सत्यापन के अनुसार प्रार्थी के पास वर्तमान में कोई आवास नही है/ एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरो का कच्चा आवास एवं पात्रता की सूची में शामिल नही किये के लिए निर्धारित 14 मापदण्डों के आधार पर इनकी जॉच करने के उपरान्त इनका नाम जोडे जाने हेतु सत्यापित कर नाम जोडे जाने की सिफारिश की जाती है।

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत

पटवारी हल्का

D:\Desktop backup\Gitika ji\AO PMAY Gitika ji\aaptti form.docx

PTO

ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी द्वारा अभिशंषा

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण हेतु SECC-2011 की सूची में पुनः नाम जोडने/नही जोडने अथवा नया नाम जोडने/नही जोडने की अभिशंषा की जाती है।

आवेदक का अपात्र होने का कारण.....

विकास अधिकारी **उपखण्ड अधिकारी**

जिला स्तरीय अपीलेट कमेटी द्वारा स्वीकृत

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण हेतु SECC-2011 की सूची में पुनः नाम जोडने/नही जोडने अथवा नया नाम जोडने/नही जोडने की अभिशंषा की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी **सदस्य एनजीओ** **जिला कलक्टर**

MOST-URG-40

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(45) ग्राविवि/ग्रुप–5 PMAY-G / M-1 / बैठक/2017–18 जयपुर, दि 28 जुलाई 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र)
समस्त, राजस्थान।

विषय :– SECC-2011 के आकडों के आधार पर तैयार वरीयता सूची में विसंगतियों के कम में।

महोदय,

वर्ष 2016–17 से इन्दिरा आवास योजना सुदृढीकृत कर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण प्रारम्भ की गई है, जिसके पात्र परिवारों की वरीयता सूची का निर्धारण SECC-2011 के आकडों के आधार पर किया गया है। विभिन्न समीक्षा बैठकों/विडियों कान्फ्रेंसिग व पत्रों के माध्यम से जिलों द्वारा SECC-2011 के आकडों में विसंगतियों के बारें में अवगत कराया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से उक्त समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह किया गया है, जिस कम में विसंगतिवार ग्राम पंचायत की सूचना एकत्रित की जानी है। अतः निम्न सूचनाऐं एक्सल फार्मेट में तैयार करवाकर 15 अगस्त, 2017 तक भिजवाने का श्रम करावें।

1 ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की सूची (वर्ग परिवर्तन हेतु)

क.स	नाम लाभार्थी	SECC-2011 की आईडी	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	दर्ज वर्ग	वास्तवित वर्ग
1						

2 लाभार्थियों की सूची (परिवार के सदस्यों के नाम जोडनें हेतु)

क.स	नाम लाभार्थी	SECC-2011 की आईडी TIN No	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	वर्तमान में प्रदर्शित परिवार के सदस्यों के नाम	जोडे जाने वाले सदस्यों के नाम
1						

3 लाभार्थियों की सूची (मुखिया के दर्ज पति/पिता का नाम परिवर्तन)

क.स	नाम लाभार्थी	SECC-2011 की आईडी TIN No	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	वर्तमान में प्रदर्शित पति/पिता का नाम	जोडे जाने वाले वास्तविक पति/पिता का नाम
1						

4 लाभार्थियों की सूची (ग्राम पंचायत परिवर्तन हेतु)

क.स	नाम लाभार्थी	SECC-2011 की आईडी TIN No	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	वर्तमान में प्रदर्शित ग्राम पंचायत का नाम	लाभार्थी की वर्तमान/सही ग्राम पंचायत का नाम
1						

5 लाभार्थियों की सूचना (ग्राम सभा द्वारा काटे जाने के उपरान्त अपील समय उपरान्त जोडनें के कम में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पात्र पाये जाने पर जोडनें हेतु)

क.स	नाम लाभार्थी	SECC-2011 की आईडी TIN No	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	SECC-2011 के आधार पर तैयार वरीयता सूची में कमांक	SECC-2011 के आधार पर तैयार वरीयता सूची में वर्ग	ग्राम सभा दिनांक जिसमें नाम काटा गया	लाभार्थी द्वारा की गई अपील के जांच कर्ता अधिकारी का नाम एवं अपील कमेटी की अभिशषा दिनांक
1								

6 लाभार्थियों की सूचना (ग्राम सभा द्वारा नहीं काटे गये परन्तु त्रुटी से आवास सॉफ्ट पर दर्ज)

क. स	नाम लाभार्थी	वर्ग	पंचायत समिति	ग्राम सभा दिनांक जिसमें नाम अनुमोदित है।

7 लाभार्थियों की सूचना (ग्राम सभा द्वारा काटे गये परन्तु त्रुटी से आवास सॉफ्ट पर दर्ज)

क. स	नाम लाभार्थी	वर्ग	पंचायत समिति	ग्राम सभा दिनांक जिसमें नाम काटा गया है।

8 लाभार्थियों की सूचना (ग्राम सभा द्वारा काटे गये परन्तु त्रुटी से आवास सॉफ्ट पर दर्ज)

क. स	नाम लाभार्थी	वर्ग	पंचायत समिति	ग्राम सभा दिनांक जिसमें नाम काटा गया है।

9 लाभार्थियों की सूचना (जिनके द्वारा प्रपत्र–ब में आवेदन किया गया है एवं अपीलेट कमेटी द्वारा सही माना गया है)

क. स	नाम लाभार्थी	वर्ग	पंचायत समिति	ग्राम सभा दिनांक जिसमें नाम काटा गया है।

10 लाभार्थियों की सूचना (जिनके द्वारा प्रपत्र–ब में आवेदन किया गया है)

क. स	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	प्राप्त प्रार्थना पत्र	अपीलेट कमेटी द्वारा पात्र पाये गये प्रार्थना पत्र	अपीलेट कमेटी द्वारा निरस्त किये गये प्रार्थना पत्र	अपीलेट कमेटी द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र

भवदीय,

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता,ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. जिला प्रभारी मुख्यालय समस्त को भेजकर लेख है कि जिलें में भ्रमण के दौरान उक्त की अनुपालना की समीक्षा की जावें।
7. परियोजना निदे. एवं उपसचिव, एसएपी/मो.एवं.मू ग्रामीण विकास विभाग।
8. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(59) / ग्राविवि / ग्रुप–5 / GOI / Awaassoft / 2015–16 जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,(ग्रा.वि.प्र)
समस्त, राजस्थान।

विषय :– आवाससॉफ्ट के सम्बंध में सामान्य जानकारी।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण कार्यक्रम का कार्यान्वयन और निगरानी ई–शासन मॉडल से की जा रही है। योजना में ई–शासन आधारित सेवा प्रदायगी की दो प्रणालिया, आवाससॉफ्ट एवं जी मोबाईल अनुप्रयोग – आवासएप काम में ली जा रही है।

आवाससॉफ्ट के उपयोग के सम्बंध में सामान्य जानकारी निम्नानुसार हैः–

1 SECC-2011 से लाभार्थियों का निर्धारण, लक्ष्यों का निर्धारण, निधियों की रिलीज, लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश एवं राशि रिलिज एवं आवास निर्माण की प्रगति की निगरानी मुख्य रूप से आवाससॉफ्ट के माध्यम से की जा रही है। लाभार्थियों की प्रतिक्षा सूची को अंतिम रूप जिला स्तर से दिये जाने के उपरान्त आवाससाफॅट के माध्यम से डाईग्राम–1 (टान्जेक्ट्र वर्क फ्लों) संलग्न है।

2 राज्य जिला और ब्लॉक स्तर पर उपयोग हेतु पृथक–पृथक मॉडयूल है, जिस हेतु अलग–अलग पासवर्ड उपलब्ध कराये गये है। महत्वपूर्ण मॉडयूल निम्नानुसार हैः–

- 1 वर्ष के लक्ष्यों का निर्धारण– राज्य/जिला (आनलाईन) और ब्लॉक स्तर (ऑफलाईन) द्वारा अपने से निचले स्तर के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण किये जाते है।
- लाभार्थियो को चयन– SECC-2011 के डाटा बेस के अनुसार पात्र लाभार्थियों की ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करानें, लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने SECC-2011 डाटा बेस में पंचायतों/गांवों और लाभार्थियों की खोज करने, ग्राम सभा संकल्प अपलोड करने, वरीयता सूची तैयार करने, सत्यापन पर पूर्नविचार हेतु उपयोगी होगा।

जिलों द्वारा आवाससॉफ्ट पर 1681180 लाभार्थियों की वरीयता सूची निर्धारित की गई है एवं जिला अपीलेट कमेटी द्वारा 1677352 का ही सत्यापन किया गया है शेष का सत्यापन करवाया जावें।

- लाभार्थी प्रबंधन– लाभार्थियों का पंजीकरण, लाभार्थियों के फोटोग्राफ (आवास सहित) अपलोड करने, व्यक्तिगत बैंक खातों की संख्या दर्ज करने और आधार संख्या, मनरेगा जॉब कार्ड संख्या आदि दर्ज करने हेतु।

  - लाभार्थियों का पंजीकरण ब्लॉक आईडी द्वारा किया जाना है। जिसके दौरान इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में दर्ज जानकारी यथा लाभार्थियों के फोटोग्राफ (आवास सहित) अपलोड करने, व्यक्तिगत बैंक खातों की संख्या दर्ज करने और आधार संख्या, मनरेगा जॉब कार्ड संख्या आदि दर्ज की जानी है। ध्यान में रहे कि लाभार्थी का बचत खाता सामान्य खातें प्रवृति का हो (TINY बैंक खाता न हो) मनरेगा जॉब कार्ड संख्या लाभार्थी की ही दर्ज की जावें। पीएफएमएस से सत्यापन रिजेक्ट होने पर दर्ज जानकारियों को दूरस्त कर पुनः खाता फ्रिज किया जावें। फ्रिज खातें को डिफ्रिज करने हेतु लाभार्थी का पंजीयन नम्बर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिलें का नाम ई–मेल द्वारा भिजवायें। उक्त विवरण भिजवाने से पूर्व होम पेज पर प्रदर्शित स्टेक होल्डर ऑपशन से जांच ले की उक्त लाभार्थी की ऑडरशिट नहीं बनी हो तथा लाभार्थी का खाता पीएफएमएस के यहा लम्बित न हो अर्थात या तो सत्यापित हो या रिजेक्ट हो, तब ही ई–मेल pdengg_rdd@yahoo.com पर भिजवाए।

- लाभार्थी का पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान होने के पश्चात् निम्न में से किसी कारण से खाता बदलने की आवश्यकता हो, तो आवाससॉफ्ट पर ब्लॉक आईडी के द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के लॉगिन से अनुरोध दर्ज किया जावें अथवा आवास योजनाओं में पंजीकरण/स्वीकृति/किश्त हस्तान्तरण के पश्चात् लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में लाभार्थी के वारिस/परिवार के सदस्य के नाम स्वीकृति बदलने तथा वारिस/परिवार के सदस्य के खाता संख्या इन्द्राज करने हेतु आवाससॉफ्ट पर जिला आईडी के लॉगिन से अनुरोध दर्ज किया जावें, आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जावें, यथा संलग्न प्रारूप–अ अथवा ब, मृत्यु प्रमाण पत्र, नये बैंक खातें की पासबुक की फोटोकॉपी। खाता बदलने के कारण निम्नानुसार हो सकते हैः–

1. Format of Account number changed
2. Loan Account
3. Bank Account closed
4. IFSC changed
5. Payment made into wrong account
6. Bank changed the Account number of beneficiary
7. Jan-dhan bank Account limit exceeded

नोट :– प्रारूप – अ का उपयोग आवास योजनाओं में ऑन–लाईन किश्त दिए जाने के पश्चात् खाता संख्या बदलने हेतु किया जाना है।

प्रारूप – ब का उपयोग आवास योजनाओं में पंजीकरण/स्वीकृति/किश्त हस्तान्तरण के पश्चात् लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में लाभार्थी के वारिस/परिवार के सदस्य के नाम स्वीकृति बदलने तथा वारिस/परिवार के सदस्य के खाता संख्या इन्द्राज करने हेतु किया जाना है।

नोट :– वर्तमान में स्वीकृति उपरान्त मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर परिवर्तन का प्रावधान नही है तथा जिओं टैंगिग में प्रथम किश्त हस्तान्तरण से पूर्व एक बार ब्लॉक स्तर पर डाटा ऐन्ट्री लॉगिन पर परिवर्तन का प्रावधान उपलब्ध है अर्थात् प्रथम किश्त हस्तान्तरण उपरान्त जिओ टैगिंग परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है।

- निधि प्रबंधन– वर्तमान में निधि रिलिज हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना हेतु अधिकृत प्रथम व द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत है। अतः इन्ही के हस्ताक्षरों का पंजीकरण कर डीएसी को सक्रिय करने हेतु अनुरोध दर्ज किया जावें। ब्लॉक/जिला स्तर से किसी डीएसी को निष्क्रिय करने हेतु अनुशंषा लिखित में राज्य को प्रेषित की जावें।
- स्वीकृति प्रबंधन – आवासों की मंजूरी से सम्बंधित ब्यौरा दर्ज करना, स्वीकृति का सम्पादन करने का प्रावधान ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध है। स्वीकृति की मंजूरी को खत्म करने का प्रावधान जिला स्तर पर उपलब्ध है।
- निर्माण कार्य की प्रगति– ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत स्तर पर आवासों के नियमित निरीक्षण हेतु उपयोग होगा। आवासों के निर्माण कार्य के विभिन्न स्तरों के फोटो लिये जाते है और उन ब्यौरा का सत्यापन किया जाता है यथा उन्हे "आवास ऐप" की सहायता से आवाससॉफट में अपलोड किया जाता है। इनमें अधिकारियों और निगरानीकर्ताओं के लिये आवासों के सत्यापन पर टिप्पण करने का भी प्रावधान है।

  नोट :– समय–समय पर आवासएप के नए वर्जन Googleplay Store पर उपलब्ध होते है, जिन्हें डाउनलोड करके ही फिल्ड विजीट किया जावें।

जिलों/ब्लॉक से आवाससॉफ्ट के सम्बंध में प्राप्त समस्याओं के निराकरण हेतु सम्भावित प्रकिया निम्नानुसार हैः–

क.स	समस्या	समाधान
1	स्वीकृति उपरान्त महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कार्य कोड प्रदर्शित नहीं होना।	PMAYG Helpline No. 1800-11-6446 , Mail us at support-pmayg@gov.in तथा nicdrd@nic.in
2	बैंक शाखा जोडने हेतु	pdengg_rdd@yahoo.com पर मेल करें।
3	डीएससी को निष्क्रिय करना	जिला/ब्लॉक स्तर से हस्ताक्षरित मेल pdengg_rdd@yahoo.com पर करें।

4	डीएससी हस्ताक्षरकर्ता का पासवर्ड नहीं लगना	डीएससी निष्क्रिय किये जाने के उपरान्त ब्लॉक स्तर के डाटा ऐन्ट्री लॉगिन से सेट सिगनेचरी ऑपशन से पुनः हस्ताक्षरकर्ता का रजिस्ट्रेशन करने पर नए पासवर्ड प्राप्त होंगे, महात्मा गांधी नरेगा की भांति पुराने पासवर्ड कार्य नहीं करेंगे।
5	डीएससी को सक्रिय करना	डीएससी को एनरोल करने से पूर्व जावा डाउनलोड किया जावें तथा बनवाए गए डीएससी के विवरण के OU पार्ट में पंचायती राज अथवा ग्रामीण विकास लिखा प्रदर्शित हो, को जॉच लिया जावें अन्यथा वेबसाईट पर डीएससी ऐरर प्रदर्शित करेगा। महात्मा गांधी नरेगा से मिलान कर राज्य स्तर से सक्रिय कर दिया जावेगा। एक दिवस में सक्रिय नहीं होने पर pdengg_rdd@yahoo.com पर मेल करें।
6	पंजीयन के समय बैंक ब्रान्च नहीं मिलना	पंजीयन के समय बैंक ब्रान्च नहीं मिलने पर, ग्रामीण बैंक हेतु आईएफएससी कोड एवं बैंक ब्रान्च कोड एवं अन्य बैंकों हेतु आईएसएससी कोड भेजा जा सकता है।
7	बैंक खातें में परिवर्तन	उपरोक्त लाभार्थी प्रबन्धन में वर्णित प्रकिया का उपयोग करें। प्रपत्र--अ अथवा ब अवश्य भरें।
8	मनरेगा जॉब कार्ड परिवर्तन	स्वीकृति उपरान्त वर्तमान में प्रावधान उपलब्ध नहीं।
9	स्वीकृति उपरान्त जीओं टैगिंग में परिवर्तन	वर्तमान में जिओं टैंगिग में प्रथम किश्त हस्तान्तरण से पूर्व एक बार ब्लॉक स्तर पर डाटा ऐन्ट्री लॉगिन पर परिवर्तन का प्रावधान उपलब्ध है अर्थात् प्रथम किश्त हस्तान्तरण उपरान्त जिओ टैगिंग परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है।
10	लाभार्थी के व्यक्तिगत विवरण में किश्त हस्तानान्तरण प्रदर्शित परन्तु वास्तव में लाभार्थी के खातें में किश्त प्राप्त नही	लाभार्थी के बैंक खाता पासबुक की आदिनांक प्रविष्टि सहित फोटोप्रति से साथ वीडीओं डिएसी लागिंन से FALSE SUCCSS प्रकरण में दर्ज करें एवं स्टेट नोडल बैंक अधिकारी श्री नितेश सिंघल को भी की pdengg_rdd@yahoo.com के साथ nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in पर मेल करें। प्रपत्र संलग्न है।
11	लाभार्थी के व्यक्तिगत विवरण में किश्त हस्तानान्तरण प्रदर्शित नही परन्तु वास्तव में लाभार्थी के खातें में किश्त प्राप्त	लाभार्थी के बैंक खाता पासबुक की आदिनांक प्रविष्टि सहित फोटोप्रति से साथ वीडीओं डिएसी लागिंन से FALSE Reject प्रकरण में दर्ज करें एवं स्टेट नोडल बैंक अधिकारी श्री नितेश सिंघल को भी की pdengg_rdd@yahoo.com के साथ nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in पर मेल करें। प्रपत्र संलग्न है।
12	ब्लॉक द्वारा एफटीओ सत्यापन उपरान्त किश्त हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जानकारी।	होम पेज पर उपलब्ध FTO Traking ऑपशन में एफटीओ का पूरा कमांक लिखकर Track करें। एफटीओ सत्यापन करने के लगभग 7 कार्यदिवस में एफटीओ क्लियर हो जाता है। कई बार तकनीकी समस्या के कारण एफटीओ क्लियर नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी की बैंक पासबुक की जॉच कर स्टेट नोडल बैंक अधिकारी श्री नितेश सिंघल को भी की pdengg_rdd@yahoo.com के साथ nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in पर मेल करें।
13	आवासएप से सम्बन्धित प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही	समय--समय पर आवासएप के नए वर्जन Googleplay Store पर उपलब्ध होते है, जिन्हें डाउनलोड करके ही फिल्ड विजिट किया जावें। इसके अतिरिक्त आने वाली समस्याओ के लिए PMAYG Helpline No. 1800-11-6446, Mail us at support-pmayg@gov.in पर मय स्क्रीन शॉट मेल करें एवं pdengg_rdd@yahoo.com पर भी फारवर्ड करे।

14	आवाससॉफ्ट से सम्बन्धित समस्यओं के कम में पत्राचार/ई–मेल	**For Technical support contact us at PMAYG Helpline No.** **1800-11-6446** **Mail us at** **support-pmayg@gov.in** **For Technical support Regarding PFMS Helpline No.** **1800-11-8111** **Mail us at** **helpdesk-pfms@gov.in** State E-Mail :- pdengg_rdd@yahoo.com, nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in **आवाससॉफ्ट से सम्बन्धित पत्राचार में लाभार्थी का विवरण अनिवार्य रूप से सॉफ्ट कॉपी (Excel या Word) में भेजे।**
15	अन्य	आवाससॉफट से सम्बंधित अन्य सभी प्रकरण जो नियमित रूप से सम्पादित हो रहे हो परन्तु कार्य के दौरान कोई विशेष प्रकरण में समस्या आ रही हो तो कृपया समाधान हेतु **PMAYG Helpline No. 1800-11-6446 , Mail us at support-pmayg@gov.in** पर मेल करें एवं **pdengg_rdd@yahoo.com** पर भी फारवर्ड करे। इसमें निम्न विवरण अनिवार्य रूप से ई–मेल करे :– 1 लाभार्थी का पूर्ण पंजीयन कमांक 2 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिले का नाम 3 समस्या का पूर्ण विवरण मय स्क्रीन शॉट

कृपया उक्त जानकारियों को आवाससॉफ्ट/पीएमएवाई–जी का कार्य देख रहे अधिकारी /कार्मिकों के साथ अधिक से अधिक साझा करें।

भवदीय,

(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता,ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
5. विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

Diagram 1

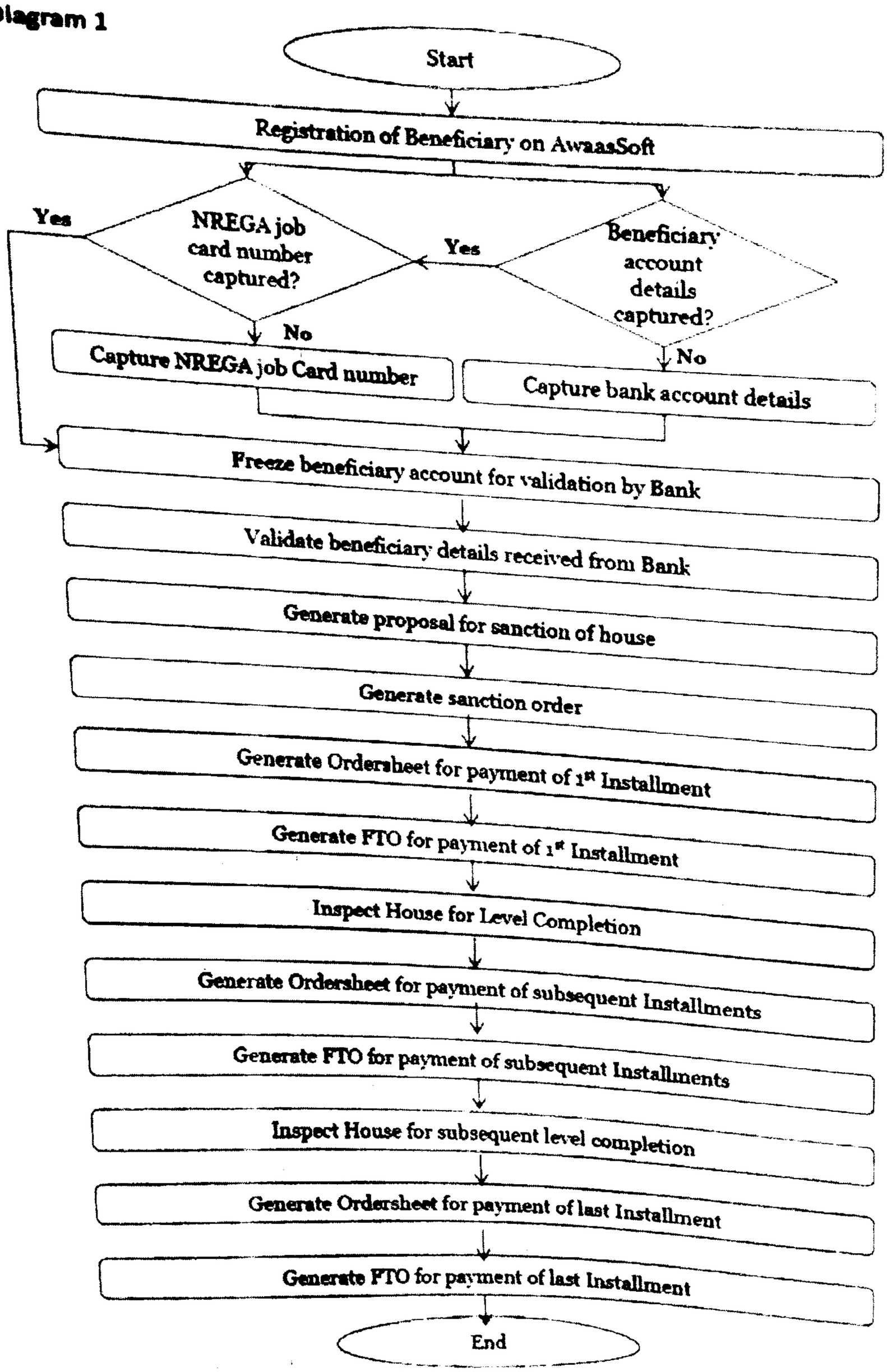

Scanned by CamScanner

प्रारूप–अ

कार्यालय पंचायत समिति .....जिला .....

आवास योजनाओ में ऑनलाइन किश्त दिए जाने के पश्चात् खाता संख्या बदलने हेतु

प्रमाण–पत्र

PMAY-G / IAY Reg No. : RJ.....

श्री / श्रीमति / सुश्री..... (पुत्र / पुत्री / पत्नी) श्री .....

निवासी ग्राम ....., ग्राम पंचायत ....., पंचायत समिति .....,

जिला ..... को योजना अंतर्गत आवास स्वीकृत है।

वर्तमान में लाभार्थी का खाता संख्या ....., बैंक ब्रांच .....,

बैंक (नाम).....आवाससॉफ्ट पर सत्यापित है, **लाभार्थी का खाता संख्या निम्न चिह्नांकित कारणवश बदलने की अनुशंषा की जाती है**, लाभार्थी का नया अनुशंषित खाता संख्या .....,

बैंक ब्रांच ....., बैंक (नाम).....को बदलने का अनुरोध **द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के लॉगिन से** ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके साथ यह **प्रमाण–पत्र तथा लाभार्थी के नये बैंक खाते की पासबुक की स्पष्ट प्रति संलग्न** की जा रही है।

कारण चिन्हित करें : –

क्रम संख्या	कारण	चिह्नांकन
1.	Format of Bank Account number changed	
2.	Loan Account	
3.	Bank Account Closed	
4.	IFSC Changed	
5.*	**Payment Made into wrong account ***	
6.	Bank changed the account number of beneficiary	
7.	Jan Dhan Bank account limit exceeded	

विकास अधिकारी

पंचायत समिति.....

*** कारण संख्या 5 होने की स्थिति में यह भी भरें।**

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि लाभार्थी को पूर्व में दी गई किश्त रु....., जो गलत खाते में हस्तांतरित हो गई थी, को लाभार्थी को हस्तान्तरित कर दी गई है / लाभार्थी द्वारा उपभोग कर ली गई है।

विकास अधिकारी

पंचायत समिति.....

प्रारूप–ब

कार्यालय जिला परिषद् .....

आवास योजनाओ में लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार के सदस्य (वारिस) लाभार्थी के नाम स्वीकृति बदलने तथा खाता संख्या इन्द्राज हेतु

प्रमाण–पत्र

PMAY-G / IAY Reg No. : RJ.....

श्री / श्रीमति / सुश्री..... (पुत्र / पुत्री / पत्नी) श्री ..... निवासी ग्राम ....., ग्राम पंचायत ....., पंचायत समिति ....., जिला ..... को योजना अंतर्गत आवास स्वीकृत है। लाभार्थी की मृत्यु दिनांक..... को हुई है। लाभार्थी के परिवार के सदस्य (वारिस) श्री / श्रीमति / सुश्री..... (पुत्र / पुत्री / पत्नी) श्री .....निवासी ग्राम ....., ग्राम पंचायत ....., पंचायत समिति ....., जिला ..... के नाम आवास स्वीकृति संशोधित की जानी प्रस्तावित है। वर्तमान में लाभार्थी का खाता संख्या..... , बैंक ब्रांच ....., बैंक (नाम).....आवाससॉफ्ट पर सत्यापित है, **लाभार्थी की स्वीकृति तथा खाता संख्या बदलने की अनुशंषा की जाती है**, संशोधित लाभार्थी का खाता संख्या ....., बैंक ब्रांच ....., बैंक (नाम)..... को बदलने का अनुरोध **जिला स्तर के लॉगिन से** ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके साथ यह **प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र संख्या..... की स्पष्ट प्रति तथा नये लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक की स्पष्ट प्रति संलग्न** की जा रही है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद् .....

Bank Format False Success / Reject Case

(8)

URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(59)ग्रावि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/ /2017–18 जयपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद
समस्त, राजस्थान।

विषय :– पीएफएमएस के माध्यम से आवाससॉफ्ट पर भुगतान दर्ज, परन्तु वास्तव में भुगतान नहीं हुए प्रकरणों की सूचना बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2015–16 से पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान किये जा रहे है। विभिन्न जिलों द्वारा अवगत कराया गया कि लाभार्थियों को आवाससॉफ्ट पर एफटीओ के माध्यम से भुगतान प्रदर्शित हो रहे है, जबकि वास्तव में लाभार्थियों को भुगतान नहीं मिला है। उक्त सभी प्रकरणों को False Success केस में दर्ज किये जाने का प्रावधान, विकास अधिकारी 2nd DSC लॉगिन पर उपलब्ध है।

दिनांक 13.07.2017 को आयोजित बैठक, बाबत् पीएफएमएस प्रकिया MoRD नई दिल्ली में हुए विचार–विमर्श के उपरान्त निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी प्रकरणों को राज्य स्तरीय नोडल बैंक दिनांक 31.07.2017 तक पीएफएमएस के माध्यम से समाधान किया जाये।

अतः इस क्रम में वर्ष 2015–16 से आज दिनांक तक पीएफएमएस के माध्यम से किये गये भुगतान जो कि लाभार्थियों को वास्तव में नहीं प्राप्त हुए है एवं भुगतान आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित हो रहा है, कि सूचना निम्न प्रारूप में 7 दिवस में ई–मेल pdengg_rdd@yahoo.com, it.rz@bankofbaroda.co.in, nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

क.स.	FTO नम्बर	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी की PMAY-G की पंजीकरण आईडी	राशि (रुपये में)	बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड

इसके अतिरिक्त इस विषय में अन्य कोई जानकारी चाहने हेतु राज्य स्तरीय नोडल बैंक प्रभारी श्री नितेश सिंघल (दुरभाष नम्बर 8094001237) पर सम्पर्क करें।

(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपिः–
1 निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3 मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, उद्योग भवन शाखा, जयपुर।
4 आरबीडीएम, बैंक ऑफ बडौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
5 श्री नितेश सिंघल, बैंक ऑफ बडौदा, उद्योग भवन शाखा, जयपुर।
6 श्री पीयूष शर्मा/श्रीमती कविता वर्मा, एमआईएस मैनेजर, मुख्यालय, ग्रामीण विकास।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

D:\Desktop backup\Gitika ji\Gitika Ji 2016-15.docx 517